

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रशासनिक संवर्ग के समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र

1. अधिकारी का नाम:-
2. अधिकारी की ID (ऑनलाइन एन्ट्री के अनुसार):-
3. वर्तमान धारित पदनाम:-
4. मूल पद (निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, खण्ड शिक्षा अधिकारी/समकक्ष, उपशिक्षा अधिकारी/समकक्ष):-
5. कार्यरत कार्यालय/संस्थान का नाम:-
6. कार्यरत कार्यालय/संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम):-
7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता (निम्नांकित (i) से (vii) तक जो लागू हो उसके सम्मुख ✓ का निशान लगायें:-हेतु इच्छित राजकीय कार्यालय/संस्थान (विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड) के विकल्प:-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्रता		
1	2	3
(i)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 13(1) के अनुसार)	
(ii)	दुर्गम कार्यस्थल में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवा काल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दुर्गम में स्थानान्तरण (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 13(2) के अनुसार)	
(iii)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 13(3) के अनुसार)	
(iv)	कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति-पत्नी (यथा लागू) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर/रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 13(4) के अनुसार)	
(v)	मानसिक रूप से विकसित अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 13(5) के अनुसार)	
(vi)	विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक (जिस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है उसका उल्लेख कॉलम-3 में करें) (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 13(6) के अनुसार)	
(vii)	सेवारत पति-पत्नी जिनका एक अथवा एक से अधिक पुत्र/पुत्री विकलांग हो (स्थाना0 अधिनियम 2017 की धारा 17-(1)(ख)(तीन) के अनुसार)	

8. स्थानान्तरण हेतु विकल्प (वरीयता अनुसार)-

क्र०सं०	कार्यालय/संस्थान का नाम	विकासखण्ड	जनपद का नाम	कार्यालय/संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नोट:-

1. अनुरोध में स्थानान्तरण हेतु जिस पात्रता के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, उससे सन्दर्भित प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र) (गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की स्थिति में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-3(च) एवं (छ) के अनुसार प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है।
2. स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्त में अंकित टिप्पणी के अनुसार भरे हुए पदों/कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर अधिकारी

नाम-

पदनाम-

कार्यरत् कार्यालय/संस्थान का नाम-

प्रतिहस्ताक्षरित

सक्षम अधिकारी

नाम-.....

(संस्था की मुहर)